संख्या–4413 / 9–आ–1–1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. उपध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 17 सितम्बर,1998

विषय : विकास / निर्माण अनुज्ञा के समय लिए जाने वाले शुल्कों का आधार एवं गणना का विवरण स्पष्ट किए जाने की अनिवार्यता।

महोदय,

(1) शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास / निर्माण अनुज्ञा जारी करते समय जमा कराए जाने वाले कतिपय शुल्कों यथा विकास शुल्क, सब–डिवीजन शुल्क, परमिट शुल्क आदि का आधार एवं अनकी गणना स्पष्ट न होने के करण आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है शासन के समक्ष यह भी शिकायत की गई है कि विभिन्न शुल्कों में नाम पर विकास प्राधिकरण मनमाने ढंग से धनराशि वसूल रहे हैं विकास / निर्माण अनुज्ञा के समय के लिए जाने वाले शुल्कों की वसूली में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि शुल्क के आधार एवं गणना का विवरण आवेदक को उपलब्ध कराया जाए।

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकास / निर्माण अनुज्ञा जारी करने हेतु विकास / प्राधिकरण द्वारा जो भी शुल्क जमा कराए जाएं, उनकी गणना से सम्बन्धित विवरण (Calculation Memo) आवेदक को अनिवार्य रूपसे उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात सम्बन्धित शासनादेश / प्राधिकरण / परिषद आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।

(3) आवास आयुक्त / उपध्यक्ष इस आदेश का अनपालन सुनिश्चित कराएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने में किसी भी शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाएगा। इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार एवं प्रसार भी कराया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या– 4413(1) / 9–आ–1–1998 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव